कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 21/2019 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री मनरूप सिंह आर्य पुत्र श्री मानसिंह जाति जाट निवासी
सरदारगढ़िया, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़।

--प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांकः-24.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी ने बताया जो सूचना दी गई है वह अधूरी है। बिन्दु संख्या 1 में जांच रिपोर्ट की सूचना चाही गई जो नही दी गई है। बिन्दु सं0 1 में जांच रिपोर्ट की सूचना है तो दिलाई जावे यदि जांच रिपोर्ट की सूचना नही है तो नही की सूचना दिलाई जावे।

अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक 433 दिनांक 10.05.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 433 दिनांक 10.05.2019 का अवलोकन करने से अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा पत्रांक 321 दिनांक 03.04.2019 से अपीलार्थी को सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (प्रतिलिपि टिकट) जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी का यह कथन करना की बिन्दु संख्या 1 के संबंध में जांच रिपोर्ट की सूचना है तो दिलाई जावे, नही है तो नही की सूचना दिलाई जावे। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि बिन्दु संख्या 1 के अनुसार जांच रिपोर्ट से संबंधी सूचना उपलब्ध हो तो अपीलार्थी को दी जावे यदि जांच रिपोर्ट से संबंधी सूचना उपलब्ध नही है तो नही की सूचना अपीलार्थी को दी जावे। अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy Not Official